



Neutral Citation No. - 2026:AHC:56211

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 281/2026

दोषी किशोर X

..... पुनरीक्षणयाची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिपक्षी

पुनरीक्षणयाची के अधिवक्ता : मोहम्मद आबिद अली

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 83

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा

पुनरीक्षणयाची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज दायर पूरक शपथपत्र को अभिलेख पर ले लिया गया है।

पुनरीक्षणयाची, प्रतिपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता, जो स्वयं उपस्थित हुए, और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका याचिकाकर्ता द्वारा उसके प्राकृतिक अभिभावक के माध्यम से किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम-2015 (जिसे आगे "किशोर न्याय अधिनियम, 2015" कहा गया है) की धारा 102 के तहत दायर की गई है, जिसमें याचिका को स्वीकार करने और बरेली के अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) द्वारा आपराधिक अपील संख्या 18/2025 में दिनांक 17.10.2025 को पारित निर्णय एवं आदेश तथा किशोर न्याय बोर्ड, बरेली द्वारा दिनांक 01.08.2025 को पारित आदेश को अपास्त करने का अनुरोध किया गया है।

याचिकाकर्ता ने उपरोक्त आदेशों के संचालन पर रोक लगाने और याचिकाकर्ता को मुकदमा अपराध संख्या 1229/2024, धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 109 बीएनएस थाना बरादरी, जिला बरेली के तहत जमानत पर रिहा करने का भी अनुरोध किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इस मामले में वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। आरोपी को दोषी नहीं ठहराया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। कथित घटना के समय आरोपी की आयु लगभग 16 वर्ष थी। एफआईआर में 11 व्यक्तियों के नाम थे और 8-10 व्यक्ति अज्ञात थे। वर्तमान याचिकाकर्ता को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। जिन सह-आरोपियों को विशिष्ट भूमिका सौंपी गई थी , उन्हें इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है और वर्तमान याचिकाकर्ता का मामला अन्य सह-आरोपियों से अलग नहीं है। जिला परीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्तमान आरोपी के विरुद्ध कुछ भी प्रतिकूल नहीं है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों पर किशोर न्याय बोर्ड और अपीलीय न्यायालय दोनों ने विचार नहीं किया है। माननीय न्याय बोर्ड ने जमानत याचिका पर निर्णय लेते समय इन सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया और माननीय अपीलीय न्यायालय ने भी अपील खारिज करते समय अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार नहीं किया, जिसे वैध नहीं कहा जा सकता है। आरोपी 05.05.2025 से किशोर देखभाल गृह में है और उसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है , इसलिए अनुरोध है कि जमानत की अवधि निर्धारित की जाए। न्यायिक न्यायाधीश बोर्ड और अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जाए और आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार किया जाए।

विद्वान ए.जी.ए. और स्वयं उपस्थित प्रतिपक्षी संख्या 2 ने उपरोक्त प्रार्थना का विरोध किया।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों , याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए .जी.ए. द्वारा दिए गए तर्कों, अभिलेखों के अवलोकन, अभियुक्त की आयु और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अन्य सह-आरोपियों को, जिन्होंने अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई है, इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों और डीएसपी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर यह प्रतीत होता है कि किशोर न्याय बोर्ड और अपीलीय न्यायालय ने प्रासंगिक प्रावधानों और अभिलेखों पर मौजूद सामग्री पर उचित विचार नहीं किया और न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार, इस पुनरीक्षण में आधार प्रतीत होता है और किशोर न्याय बोर्ड और विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तदनुसार, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दिनांक 01.08.2025 को पारित आदेश और अपील्रीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17.10.2025 को पारित आदेश निरस्त किए जाते हैं और वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है।

यह निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्त /आवेदक को पुनरीक्षणयाची (अभियुक्त का कानूनी अभिभावक) और दो जमानत दारों द्वारा समान राशि के व्यक्तिगत बांड निष्पादित करने पर , संबंधित किशोर न्याय बोर्ड की संतुष्टि के अनुरूप , निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) पुनरीक्षणयाची/प्राकृतिक अभिभावक यह वचन देंगे कि जमानत पर रिहाई के बाद पुनरीक्षणयाची को किसी भी ज्ञात अपराधी के संपर्क या संगति में नहीं आने दिया जाएगा और न ही उसे किसी नैतिक , शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ने दिया जाएगा तथा पिता यह सुनिश्चित करेंगे कि किशोर अपराध की पुनरावृत्ति न करे।
- (ii) याचिकाकर्ता/प्राकृतिक अभिभावक यह वचन देंगे कि किशोर उचित स्तर पर अपनी पढ़ाई जारी रखेगा, जिसके लिए उसे प्रोत्साहित किया जाएगा, साथ ही अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भी भाग लेगा और उसे अनुत्पादक और अत्यधिक मनोरंजन में समय बर्बाद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (iii) किशोर और याचिकाकर्ता /प्राकृतिक अभिभावक प्रत्येक कैलेंडर माह के पहले सोमवार को परिवीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे।
- (iv) परिवीक्षा अधिकारी किशोर की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेंगे और नियमित रूप से अपनी सामाजिक जांच रिपोर्ट तैयार करेंगे , जिसे किशोर न्याय बोर्ड द्वारा निर्धारित आवधिक आधार पर संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा)

19 मार्च, 2026

अनुराग सिंह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।